

इसे वेबसाईट [www.govtpressmp.nic.in](http://www.govtpressmp.nic.in) से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



# मध्यप्रदेश राजपत्र

( असाधारण )

## प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 4]

भोपाल, सोमवार, दिनांक 6 जनवरी 2020—पौष 16, शक 1941

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 6 जनवरी 2020

क्र. 281-4-इक्कीस-अ(प्रा.).—मध्यप्रदेश विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम जिस पर दिनांक 4 जनवरी, 2020 को महामहिम राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, एतद्द्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिये प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
राजेश यादव, अपर सचिव.

## मध्यप्रदेश अधिनियम

क्रमांक ३ सन् २०२०

## मध्यप्रदेश विनियोग ( क्रमांक-८ ) अधिनियम, २०१९

[ दिनांक ४ जनवरी, २०२० को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हुई, अनुमति "मध्यप्रदेश राजपत्र ( असाधारण )" में दिनांक ६ जनवरी, २०२० को प्रथम बार प्रकाशित की गईं ]

३१ मार्च, २००४ को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के दौरान कतिपय सेवाओं पर उन रकमों से, जो उन सेवाओं के लिए और उस वर्ष के लिये मंजूर की गई थी, अधिक व्यय हुई रकमों की पूर्ति करने के लिए मध्यप्रदेश राज्य की संचित निधि में से धन के विनियोग को प्राधिकृत करने के लिये उपबंध करने हेतु अधिनियम.

भारत गणराज्य के सत्तरवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान-मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:—

## संक्षिप्त नाम.

१. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश विनियोग (क्रमांक-८) अधिनियम, २०१९ है.

३१ मार्च, २००४ को समाप्त हुए वर्ष के कतिपय अधिक व्यय की पूर्ति करने के लिये मध्यप्रदेश राज्य की संचित निधि में से रुपये २,५३,८६,२५६ का दिया जाना.

२. मध्यप्रदेश राज्य की संचित निधि में से, अनुसूची के कॉलम ( ३ ) में विनिर्दिष्ट वे राशियां, जिनका कुल योग रुपये दो करोड़ तिरपन लाख छियासी हजार दो सौ छप्पन होता है, उक्त अनुसूची के कॉलम ( २ ) में विनिर्दिष्ट सेवाओं की बाबत प्रभारों को चुकाने के लिए ३१ मार्च, २००४ को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के दौरान उन रकमों से, अधिक व्यय हुई रकमों की पूर्ति करने के लिए दी और उपयोजित की जाने के लिये प्राधिकृत की गई समझी जाएंगी.

## विनियोग.

३. इस अधिनियम के अधीन मध्यप्रदेश राज्य की संचित निधि में से दी जाने और उपयोजित की जाने के लिए प्राधिकृत की गई समझी गई राशियां, अनुसूची में अभिव्यक्त सेवाओं और प्रयोजनों के लिये ३१ मार्च, २००४ को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के संबंध में विनियोजित की गई समझी जाएंगी.

## अनुसूची

( धारा २ और ३ देखिये )

(१) अनुदान का क्रमांक	(२) सेवाएं और प्रयोजन	(३) आधिक्य		
		मतदत्त	भारित	योग
		रुपये	रुपये	रुपये
२०.	लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी	०	२६,५४७	२६,५४७
२३.	जल संसाधन	०	२,२८,८९४	२,२८,८९४
३५.	पुनर्वास विभाग	१,२२,६३९	०	१,२२,६३९
६७.	लोक निर्माण विभाग	०	४,६४,१७१	४,६४,१७१

(१)	(२)	(३)	
		रुपये	रुपये
६८. पंचायत एवं ग्रामीण विकास		१,२३,६६,२५०	०
८४. राजस्व विभाग		४,७२,५३८	०
९४. नगरीय प्रशासन एवं विकास		१,१७,०५,२१७	०
<b>योग :</b>		<b>२,४६,६६,६४४</b>	<b>७,१९,६१२</b>
			<b>२,५३,८६,२५६</b>

भोपाल, दिनांक 6 जनवरी 2020

क्र. 281-4-इक्कीस-अ(प्रा.).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में मध्यप्रदेश विनियोग (क्रमांक 8) अधिनियम, 2019 (क्रमांक 3 सन् 2020) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
राजेश यादव, अपर सचिव.

MADHYA PRADESH ACT

No. 3 OF 2020

THE MADHYA PRADESH APPROPRIATION (No. 8) ACT, 2019

[Received the assent of the Governor on the 4th January, 2020; assent first published in the "Madhya Pradesh Gazette (Extra-ordinary)", dated the 6<sup>th</sup> January, 2020.]

**An Act to provide for the authorization of appropriation of money out of the Consolidated Fund of the State of Madhya Pradesh to meet the amounts spent on certain services during the financial year ended on the 31<sup>st</sup> day of the March, 2004 in excess of the amounts granted for those services and for that year.**

Be it enacted by the Madhya Pradesh Legislature in the Seventieth year of the Republic of India as follows:—

1. This Act may be called the Madhya Pradesh Appropriation (No. 8) Act, 2019.

Short title.

2. From and out of the Consolidated Fund of the State of Madhya Pradesh, the sums specified in column (3) of the Schedule amounting in the aggregate to the sum of Two Crore fifty three lakh eighty six thousand two hundred fifty six rupees shall be deemed to have been authorised to be paid and applied to meet the amount spent on defraying the charges in respect of the services specified in column (2) of the said Schedule during the Financial Year ended on the 31<sup>st</sup> day of March, 2004 in excess of the amounts granted for those services and for that year.

Issue of Rs. 2,53,86,256 out of the Consolidated Fund of the State of Madhya Pradesh to meet certain excess expenditure for the year ended on 31<sup>st</sup> March, 2004.

Appropriation.

3. The sums deemed to have been authorized to be paid and applied from and out of the Consolidated Fund of the State of Madhya Pradesh under this Act shall be deemed to have been appropriated for the services and purposes expressed in the Schedule in relation to the Financial Year ended on the 31<sup>st</sup> day of March, 2004.

## THE SCHEDULE

(See Section 2 and 3)

(1) No. of Vote	(2) Service and purpose	(3) Excess		
		Voted	Charged	Total
		Rs.	Rs.	Rs.
20.	Public Health Engineering	0	26,547	26,547
23.	Water Resources	0	2,28,894	2,28,894
35.	Eehabilitation	1,22,639	0	1,22,639
67.	Public Work (Billding)	0	4,64,171	4,64,171
68.	Panchayat and Rural	1,23,66,250	0	1,23,66,250
84.	Revenue	4,72,538	0	4,72,538
94.	Urban Development	1,17,05,217	0	1,17,05,217
	Total . .	2,46,66,644	7,19,612	2,53,86,256